लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 417
22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

टेक्सटाइल निर्यात के लिए पीएलआई योजना

417. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्रा) पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों को चिन्हित किया है;

(ख) क्या सरकार पारंपरिक बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए डिजिटलीकरण और विपणन के लिए कोई योजना चला रही है;

(ग) क्या सरकार का टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशेष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू करने का विचार है;

(घ) क्या राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्जीवित किया गया है; और

(ड) क्या सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र में महिलाओं के लिए उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): सरकार ने 7 साइटों अर्थात तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क की स्थापना को अंतिम रूप दे दिया है।

(ख): सरकार, हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए डिजिटलीकरण और मार्केटिंग सहायता प्रदान करने हेतु देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक घटक के रूप में हथकरघा विपणन सहायता (एचएमए) योजना क्रियान्वित कर रही है।

इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और हथकरघा क्षेत्र का डिजिटलीकरण करने तथा उनके उत्पादों हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और बुनकरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को लाभ, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर हथकरघा बुनकरों को ऑनबोर्ड करने, हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए पोर्टल अर्थात् Indiahandmade.com आदि जैसे कदम उठाए गए हैं।

मंत्रालय देश भर में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) नामक दो योजनाओं का भी क्रियान्वयन करता है।

हस्तशिल्प कारीगरों की मार्केटिंग हेतु, एनएचडीपी योजनाओं के विपणन सहायता एवं सेवा घटक के अंतर्गत, घरेलू विपणन कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। घरेलू बाजार में कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे खरीदारों को बेचने में सहायता प्रदान करने और दीर्घकालिक व्यापार हेतु बाजार लिंकेज स्थापित करने में मदद करने के लिए घरेलू विपणन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों के तहत, पात्र संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों और थीमैटिक एग्जिबिशन/भारत के शिल्प महोत्सव/स्टेंड एलोन शो/विदेशों में जागरूकता अभियान के आयोजन/भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पुरस्कार प्राप्त कारीगरों और हस्तशिल्प निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी नामित किया जाता है।

(ग): सरकार ने देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्रों हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है, ताकि वस्त्र क्षेत्र को अधिक आकार और पैमाने प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। निष्पादन वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 2028-29 तक रहेगा।

(घ): हथकरघा क्षेत्र के उत्थान के लिए, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को विशेष अवसंरचना परियोजनाओं, पुरस्कृत हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता, बुनकरों के बच्चों को छात्रवृत्ति, उत्पादक कंपनियों आदि जैसी विभिन्न पहलों को, जारी पहलों के साथ-साथ नए तरीके से शुरू किया गया है।

(ङ): सरकार देश भर में महिला हथकरघा कामगारों सहित हथकरघा कामगारों की उद्यमिता और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चला रही है:

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
(2) कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना;

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/कामगारों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघे एवं एसेसरीज की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एवं डिजाइन इनोवेशन, तकनीकी एवं सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में उद्योग के प्रयासों को सहयोग करने के लिए माँग-आधारित, रोजगार-उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) भी क्रियान्वित कर रही है। यह योजना पूरे देश में माँग-आधारित आधार पर क्रियान्वित की जाती है और इसमें महिलाओं जैसे वंचित सामाजिक समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना की शुरुआत अर्थात् 2017-18 से दिनांक 16.07.2025 तक, कुल 4,53,383 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है, जिनमें 4,13,059 महिलाएँ (91.1%) शामिल हैं।

****